न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला—अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस)

वाद संख्या :— 01 / 303 / 2013

ऑनलाईन नम्बर:—2013 / 00037

प्रवेश तिथि:—21.11.2013

1. श्रीनारायण दत्तक पुत्र श्री गनीराम जाति माली आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम आमकीवाल राजगढ जिला अलवर।
2. गिर्राज प्रसाद सैनी पुत्र श्री हरनारायण सैनी जाति माली आयु 45 वर्ष निवासी पटारी की डुंगरी तहसील राजगढ जिला अलवर।
3. होतीलाल सैनी पुत्र श्री लल्लुराम सैनी जाति माली आयु 52 वर्ष निवासी ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।
4. सुखलाल सैनी पुत्र श्री लल्लुराम सैनी जाति माली आयु 44 वर्ष निवासी ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।
5. दीपक कुमार जैमन पुत्र श्री मोहनलाल जैमन जाति ब्रहाम्ण आयु 46 वर्ष निवासी माली मोहल्ला राजगढ जिला अलवर।
6. लक्ष्मी देवी पुत्री श्री कन्हैयालाल सैनी जाति माली निवासी माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।

............वादीगण

बनाम

1. मनमोहन पुत्र श्री कन्हैयालाल सैनी जाति माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर मृतक जरिये वारिसान।
   1 / 1. राजीव सैनी पुत्र श्री मनमोहन सैनी जाति माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।
   1 / 2. अमित सैनी पुत्र श्री मनमोहन सैनी जाति माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।
   1 / 3. सरोज सैनी पत्नि श्री मनमोहन सैनी जाति माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।
   1 / 4. पल्लवी सैनी पुत्री श्री मनमोहन सैनी जाति माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कन्हैयालाल सैनी जाति माली निवासी माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर हाल निवासी 5 दाताराम मंदिर के पास इन्द्रिरा कॉलोनी अलवर जिला अलवर
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील राजगढ जिला अलवर।

............................प्रतिवादीगण।

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 रा0का0अ0

उपस्थित:— श्री दीपक कुमार जैमन एड. वादी।

निर्णय

दिनांक 29.09.2025

1. आज यह दावा तकसीम आराजी के वास्ते निर्णय पेश हुआ। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा दावा तकसीम आराजी का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 1549 खसरा संख्या 1358 / 0.11, 1359 / 0.58, 1706 / 0.14, 1708 / 0.18, 1727 / 0.20, 1753 / 0.44, 1763 / 0.41, 1788 / 0.06, 1847 / 0.24, 1764 / 0.02, 1768 / 0.08, 3586 / 0.02, कुल किता 12 कुल रकबा 2.48 है0 आराजी खाता संख्या 1242 खसरा संख्या 1787 / 0.03 है0 वाके ग्राम राजगढ (आमकीवाल) तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जिसमें वादी व प्रतिवादी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071—75 वाके ग्राम राजगढ (आमकीवाल) तहसील राजगढ जिला अलवर के सहखातेदार काश्तकार हैं पक्षकारान अपने अपने हिस्सा दर्ज रिकार्ड पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। चूंकि पक्षकारान के मध्य अब काश्त करने में सुविधाजनक नही रहा है और आपस में काश्त को लेकर मुताबिक हिस्से को लेकर तनाजा रहता है इसलिए वादीगण मुतनाजा आराजी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कराकर खाता पृथक—पृथक किया जाकर अन्त में दावा वादी डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला—अलवर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। पैरोकार अशालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये। अप्रार्थी संख्या 1 मनमोहन की हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.2014 व अप्रार्थी संख्या 01 मृतक मनमोहन के वारीसान 1/1 लगायत 1/4 की दिनांक 11.08.2025 को, व प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश दिनांक 03.01.2017 को तक बाद बाद सुचना तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 मनमोहन के वारीसानों की और से प्रार्थना पत्र 09 रूल 13 का दिनांक 11.08.2025 को पेश किया है। इसलिए उन्हे यह सुचना पुर्व से है कि उक्त आराजी का दावा विचाराधीन है। हाजा न्यायाल के द्वारा दिनांक 28.10.2021 प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। जिसकी रिपोर्ट दिनांक तहसीलदार राजगढ से दिनांक 11.11.2022 को प्राप्त हुई। लेकिन दिनांक 04.08.2025 को वकील प्रार्थी द्वारा आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी का पेश किया गया। जिसे स्वीकार किया गया। वकील वादी ने दिनांक 27.08.2025 को ऐतराज कुर्रेजात रिपोर्ट पर पेश किया गया। ऐतराज कुर्रेजात स्वीकार करने के बाद दिनांक दिनांक 10.09.2025 को पुनः संशोधित प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया। वकील वादी के निवेदन पर पुनः संशोधित प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 मनमोहन की ओर से श्रीनारायण बनाम मनमोहन मुकदमा संख्या 03/108/2022 दिनांक 09.12.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 रूल 13 सीपीसी का पेश किया गया। और निवेदन किया गया की दिनांक 17.02.2014 को प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व अमल में लाई गई एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करते हुऐ दिनांक 28.10.2021 को जारी की गई प्रारम्भिक डिक्री को अपास्त करने का निवेदन किया गया। इसके बाद दिनांक 11.08.2025 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 रूल 13 सीपीसी प्रतिवादी संख्या 1 मनमोहन के वारीसानों की और से जरिये वकील पेश किया गया। जो शामिल मिशल है। वकील वादी के द्वारा पुर्व में पेश दिनांक 04.08.2025 को आदेश 22 रूल 9, आदेश 22 रूल 4 सीपीसी मय दफा 5 पेश की गई। बाद बहस वकील वादी के प्रार्थना पत्र आदेश 22 रूल 9, आदेश 22 रूल 4 सीपीसी मय दफा 5 को स्वीकार किया गया। इसलिए मृतक प्रतिवादी संख्या 01 मनमोहन के वारिसानों को पुर्व से इस प्रकरण की सुचना होना साबित होता है। इसलिए मृतक प्रतिवादी संख्या 01 के वारीसानों को तामील की आवश्यकता नही है। तथा बाद सुचना होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। न्यायालय ने बाद गौर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के बाद पुनः प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.09.2025 को जारी की गई। तहसीलदार राजगढ के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/1830 दिनांक 26.09.2025 से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शा0 मि0 है।

4. मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2071—75 खाता संख्या 1549, 1242 वाके ग्राम राजगढ के अंकित इन्द्राज से मुतनाजा आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी होना साबित है। तहसीलदार राजगढ के *पत्रांक क्रमांक/भू.अ.*/2025/1830 दिनांक 26.09.2025 द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. प्रकरण तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला—अलवर

एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करें या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. बाद गौर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन व मनन के बाद सह खातेदार बाद तमसीम अपने पृथक–पृथम खाते मे खातेदारी दर्ज करते हुए दावा वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः–

आदेश है कि

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल खाता संख्या 1549 खसरा संख्या 1358 / 0.11, 1359 / 0.58, 1706 / 0.14, 1708 / 0.18, 1727 / 0.20, 1753 / 0.44, 1763 / 0.41, 1788 / 0.06, 1847 / 0.24, 1764 / 0.02, 1768 / 0.08, 3586 / 0.02, कुल किता 12 कुल रकबा 2.48 है0 आराजी खाता संख्या 1242 खसरा संख्या 1787 / 0.03 है0 वाके ग्राम राजगढ (आमकीवाल) तहसील राजगढ जिला अलवर को *मुताबिक तहसीलदार राजगढ की कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 26.09.2025 के अनुसार दावा वादीगण तकसीम कर डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है–*

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	गिर्राज प्रसाद सैनी पुत्र हरनारायण सैनी हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 पटायरी की डूंगरी राजगढ खातेदार	1358 मिन 1 1359 मिन 1	0.04 0.17
		कुल किता 02	कुल रकबा 0.21 है0
2	दीपक कुमार जैमन पुत्र मोहनलाल जैमन हिस्सा जाति ब्राह्मण सा0 माली मोहल्ला राजगढ खातेदार राहिन हिस्सा पुर्ण इंडियन ऑवरसीज बैंक शारा राजगढ	1358 मिन 2 1359 मिन 2 1708 मिन 1	0.03 0.41 0.17
		कुल किता 03	कुल रकबा 0.61 है0
3	मनमोहन पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 आमकीवाल मजरा देह खातेदार मृतक जरिये वारीसान राजीव सैनी, अमित सैनी, पुत्रान मनमोहन, सरोज पत्नी मनमोहन, पल्लवी सैनी पुत्री मनमोहन।	1753 1763 1764 1768 1847 3586	0.44 0.41 0.02 0.08 0.24 0.02
		कुल किता 06	कुल रकबा 1.21 है0

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला–अलवर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

4	लक्ष्मी देवी पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 आमकीवाल मजरा देह खातेदार	1358 मिन 3	0.04
5	सुखलाल पुत्र लल्लूराम सैनी हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 राजगढ खातेदार।	1706 1708 1708 मिन–2	0.14 0.06 0.01
		कुल किता 03	कुल रकबा 0.21 है0
6	होतीलाल सैनी पुत्र लल्लूराम सैनी हिस्सा पुर्ण जाति माली सा0 राजगढ खातेदार।	1727	0.20
7	मनमोहन पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 29/60 जाति माली सा0 आमकीवाल मजरा देह खातेदार, लक्ष्मी देवी पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 1/60 जाति माली सा0 आमकीवाल मजरा देह खातेदार, श्रीनारायण दत्तक पुत्र मनीराम हिस्सा 1/2 जामि माली सा0 आमकीवाल मजरा देह खातेदार मुताबिक खाता संख्या 1242 शामलाती।	1787	0.03 गै0मु0 तिवारी

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रेजात दिनांक 26.09.2025 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। साथ ही तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला—अलवर
(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस)

वाद संख्या :— 01/303/2013 ऑनलाईन नम्बर—2013/00037 प्रवेश तिथिः—21.11.2013

1. श्रीनारायण दत्तक पुत्र श्री मनीराम जाति माली आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम आमकीवाल राजगढ जिला अलवर।
2. गिर्राज प्रसाद सैनी पुत्र श्री हरनारायण सैनी जाति माली आयु 45 वर्ष निवासी पटारी की डूंगरी तहसील राजगढ जिला अलवर।
3. होतीलाल सैनी पुत्र श्री लल्लुराम सैनी जाति माली आयु 52 वर्ष निवासी ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।
4. सुखलाल सैनी पुत्र श्री लल्लुराम सैनी जाति माली आयु 44 वर्ष निवासी ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।
5. दीपक कुमार जैमन पुत्र श्री मोहनलाल जैमन जाति ब्रहाम्ण आयु 46 वर्ष निवासी माली मोहल्ला राजगढ जिला अलवर।
6. लक्ष्मी देवी पुत्री श्री कन्हैयालाल सैनी जाति माली निवासी माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. मनमोहन पुत्र श्री कन्हैयालाल सैनी जाति माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर मृतक जरिये वारिसान।
   1/1. राजीव सैनी पुत्र श्री मनमोहन सैनी जाति माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।
   1/2. अमित सैनी पुत्र श्री मनमोहन सैनी जाति माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।
   1/3. सरोज सैनी पत्नि श्री मनमोहन सैनी जाति माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।
   1/4. पल्लवी सैनी पुत्री श्री मनमोहन सैनी जाति माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री कन्हैयालाल सैनी जाति माली निवासी माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर हाल निवासी 5 दाताराम मंदिर के पास इन्द्रिरा कॉलोनी अलवर जिला अलवर
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण।

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 रा0का0अ0

उपस्थितः— श्री दीपक कुमार जैमन एड. वादी।

—:पर्चा डिक्री:—

दिनांक 29.09.2025

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खाता संख्या 1549 खसरा संख्या 1358/0.11, 1359/0.58, 1706/0.14, 1708/0.18, 1727/0.20, 1753/0.44, 1763/0.41, 1788/0.06, 1847/0.24, 1764/0.02, 1768/0.08, 3586/0.02, कुल किता 12 कुल रकबा 2.48 है0 आराजी खाता संख्या 1242 खसरा संख्या 1787/0.03 है0 वाके ग्राम राजगढ (आमकीवाल) तहसील राजगढ जिला अलवर को *मुताबिक तहसीलदार राजगढ की कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 26.09.2025 के अनुसार दावा वादीगण तकसीम कर डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है—*

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	गिर्राज प्रसाद सैनी पुत्र हरनारायण सैनी हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 पटायरी की डूंगरी राजगढ खातेदार	1358 मिन 1 1359 मिन 1	0.04 0.17
		कुल किता 02	कुल रकबा 0.21 है0
2	दीपक कुमार जैमन पुत्र मोहनलाल जैमन हिस्सा जाति ब्राहम्ण सा0 माली मोहल्ला राजगढ खातेदार राहिन हिस्सा पुर्ण इंडियन ऑवरसीज बैंक शारा राजगढ	1358 मिन 2 1359 मिन 2 1708 मिन 1	0.03 0.41 0.17
		कुल किता 03	कुल रकबा 0.61 है0

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

3	मनमोहन पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 आमकीवाल मजरा देह खातेदार मृतक जरिये वारीसान राजीव सैनी, अमित सैनी, पुत्रान मनमोहन, सरोज पत्नी मनमोहन, पल्लवी सैनी पुत्री मनमोहन।	1753 1763 1764 1768 1847 3586 कुल किता 06	0.44 0.41 0.02 0.08 0.24 0.02 कुल रकबा 1.21 है0
4	लक्ष्मी देवी पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 आमकीवाल मजरा देह खातेदार	1358 मिन 3	0.04
5	सुखलाल पुत्र लल्लूराम सैनी हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 राजगढ खातेदार।	1706 1788 1708 मिन—2 कुल किता 03	0.14 0.06 0.01 कुल रकबा 0.21 है0
6	होतीलाल सैनी पुत्र लल्लूराम सैनी हिस्सा पुर्ण जाति माली सा0 राजगढ खातेदार।	1727	0.20
7	मनमोहन पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 29/60 जाति माली सा0 आमकीवाल मजरा देह खातेदार, लक्ष्मी देवी पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 1/60 जाति माली सा0 आमकीवाल मजरा देह खातेदार, श्रीनारायण दत्तक पुत्र मनीराम हिस्सा 1/2 जामि माली सा0 आमकीवाल मजरा देह खातेदार मुताबिक खाता संख्या 1242 शामलाती।	1787	0.03 गै0मु0 तिबारी

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रेजात दिनांक 26.09.2025 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। साथ ही तहसीलदार राजगढ को ओदश दिये जाते है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को तैयार की गई।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला—अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते